x/Em.

ज्ञापांक 24/406015/पी-1
4-7-2-19

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार।

पटना, दिनांकः– 12.01.19

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेलवे सहित),
बिहार।

विषयः– **मालखाना प्रभार के संबंध में।**

———0———

कतिपय सूचनाएँ प्राप्त हो रही की जिला के कई थाना एवं कोर्ट मालखाना का प्रभार कई वर्षो से लंबित चला आ रहा है। मालखाना के प्रभारी स्थानान्तरित होकर एक थाना से दूसरे थाना, एक जिला से दूसरे जिला, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रक्षेत्र से दूसरे प्रक्षेत्र चले जाते है, परन्तु उनके द्वारा मालखाना का प्रभार नही सौपा गया है। कुछ ऐसे मामलें भी प्रकाश में आयें हैं कि संबंधित पदाधिकारी मालखाना का प्रभार सौपने के लिए दूसरे थाना/जिला/क्षेत्र/प्रक्षेत्र से आते है परन्तु संबंधित थानाध्यक्षों के टाल–मटोल रवैये के कारण पदाधिकारी वापस लौट जाते है। पुलिस अधीक्षकों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी इस मामलें में अभिरूची नहीं ली जा रही है।

आप सभी सहमत होगें कि मालखाना प्रदर्शों का प्रभार नहीं होने के कारण कई मामलों में प्रदर्श ससमय माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं किये जाते हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है।

पुलिस हस्तक नियम 78 में थाना मालखाना के संबंध में स्पष्ट अंकित है कि "मालखानें के दरबाजे और संदूकों में सुदृढ़ ताले लगे रहेंगे जिनकी कुंजियॉ थाना प्रभारी ही रखेगा"।

पुलिस हस्तक नियम 307(घ) इसी प्रकार कोर्ट मालखाना के संबंध में में स्पष्ट उल्लेख है कि **"ऐसी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कोठरी की व्यवस्था की जायेगी जिसे मालखाना कहा जायेगा, इसकी कुंजियॉ कोर्ट मालखाना प्रभारी के प्रभार में रहेंगी जो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति या प्रदर्शो को न ले जाए, न कोई हस्तक्षेप आदि करने पाए"।**

अतः आप सभी को निदेशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत के थाना एवं कोर्ट मालखाना के लम्बित प्रभारों की समीक्षा करें तथा सभी लम्बित थाना एवं कोर्ट मालखाना का प्रभार **दिनांक 15.02.2019** तक निश्चित रूप से ग्रहण/अद्यतन कराना सुनिश्चित करे। दिनांक–20.02.2019 तक अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत के सभी थाना एवं कोर्ट मालखाना का प्रभार अद्यतन हो गया है, एतद् प्रतिवेदन अपर पुलिस महानिदेशक(मु0), बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

ह0/-
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

2. अपर पुलिस महानिदेशक(मु0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक(रेल सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)/नगर पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

ह0/-
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

14507/19
12.1.19